

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 72/2017

RCMS No. 2017/00316

प्रार्थी:-

बनाम

अप्रार्थीगण:-

- | | |
|--|--|
| 1 उगमराज पुत्र रामचन्द्र | 1. किशोर पुत्र रायचन्द्र शाह जाति जैन निवासी जवाली तहसील देसूरी जिला पाली हाल रूपम केमिस्ट, चेम्बुर नाका, विजय टॉकिज के पास काम्बे रोड़, चेम्बुर, मुम्बई-71 (महाराष्ट्र) |
| 2 बादामी बाई पत्नी रामचन्द्र जातिगण जैन निवासीगण जवाली तहसील रानी जिला पाली | 2. ग्राम पंचायत जवाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, तहसील पाली |
| 3 सुखीबाई पुत्री देवीचन्द्र पत्नी घीसूलाल जाति जैन निवासी जवाजी तहसील रानी जिला पाली हाल निवासी कीरवा तहसील रानी | |

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति -

श्री नारायणलाल कुमावत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

:- निर्णय :-

दिनांक:- 12/11/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, जवाली द्वारा मिसल संख्या /, संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.06.2013 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 61 दिनांक 10.07.2013 के विरुद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत की, जिसमें अंकित किया कि जैर निगरानी स्वामित्व प्रमाण पत्र की भूमि पर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सहित अन्य की संयुक्त शामलात पैतृक रहवासीय मकान बना हुआ है, जिसका पट्टा वक्त जागीर ग्राम पंचायत जवाली के तत्कालीन जागीरदार ठाकुर श्री सरदारसिंह ने रूपचन्द्र, देवीचन्द्र, पुखराज, रामचन्द्र बेटा पोता हिराचन्द्र निवासी जवाली के हक में विक्रम संवत् 1998 को जारी कर रखा है, जिस पट्टे के अस्तित्व को स्वयं अप्रार्थी स्वीकार कर श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश पाली के न्यायालय में प्रस्तुत बाद में उपरोक्त पट्टे को न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 24.11.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार अधीनस्थ ग्राम पंचायत को प्रार्थीगण की पैतृक पट्टासुदा भूमि पर स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का कोई हक अधिकार नहीं था। उगमराज ने विधि विरुद्ध तरीके से प्राप्त किए गए पट्टे के आधार पर फर्जी एवं कूटरचित तरीके से बिना हक अधिकार के अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में विक्रय विलेख तैयार करवाया। उक्त विक्रय विलेख से अप्रार्थी संख्या 1 को कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं हुए है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने उपरोक्त विक्रय विलेख

अति. जिला कलेक्टर, पाली



की भूमि को अधीनस्थ ग्राम पंचायत में अपने पैतृक रहवासीय मकान की भूमि बताकर जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया, जो पंचायती राज नियमों के विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। जैर निगरानी पट्टे एवं प्रस्ताव की भूमि प्रार्थी व अन्य सह हिस्सेदारों की पैतृक रहवासीय मकान की भूमि है, जिसका पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ ग्राम पंचायत से मेल मिलावट कर विधि विरुद्ध तरीके से अपने पक्ष में जारी करवाया। ग्राम पंचायत को किसी अन्य की पट्टासुदा भूमि का पट्टा जारी करने का कोई हक अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत को किसी विक्रय विलेख के आधार पर कोई भी पट्टा जारी करने का पंचायत राज अधिनियम व नियम में कोई प्रावधान व अधिकार नहीं है, उसके बावजूद भी अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने पंचायत राज नियम व अधिनियम के विरुद्ध जैर निगरानी आज्ञा एवं पट्टा जारी किया गया है। जैर निगरानी आज्ञा व पट्टे की भूमि के सम्बन्ध में श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश बाली के न्यायालय में वाद बाबत अचल सम्पत्ति के विभाजन, आदेशात्मक व्यादेश एवं निषेधात्मक व्यादेश हेतु प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। उक्त वाद में जैर निगरानी पट्टे व प्रस्ताव की वैधता देखने के सम्बन्ध में कोई निषेधाज्ञा जारी की हुई नहीं है एवं न ही जैर निगरानी पट्टे व प्रस्ताव को प्रश्नगत किया गया है। इस कारण सिविल वाद के लम्बित रहते हुए भी माननीय न्यायालय को जैर निगरानी पट्टा व प्रस्ताव की वैधता देखने का पूर्ण क्षेत्राधिकार है, इस कारण जैर निगरानी पट्टा व प्रस्ताव निरस्त करने योग्य है। जैर निगरानी पट्टे एवं प्रस्ताव प्रार्थीगण की संयुक्त शामलात भूमि पर विधि विरुद्ध व क्षेत्राधिकार से परे जाकर प्राप्त किए गए स्वामित्व प्रमाण पत्र के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने पक्ष में फर्जी व कूटरचित विक्रय विलेख तैयार करवाया, उसके पश्चात जैर निगरानी पट्टे व प्रस्ताव को पैतृक सम्पत्ति बताते हुए पंचायत राज नियमों के विरुद्ध जारी करवाया, जबकि जैर निगरानी पट्टा व प्रस्ताव पंचायत राज नियमों के विरुद्ध जारी होने से निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त यदि पट्टा पंजीबद्ध हो तो भी उस पंजीबद्ध पट्टे की वैधता जांचने का अधिकार इस न्यायालय को प्रदत्त है। जैर निगरानी पट्टे व प्रस्ताव की भूमि प्रार्थी निगरानीकर्ता व अन्यो की संयुक्त शामलात पैतृक रहवासीय मकान की भूमि है, जिसके विभाजन आदि के सम्बन्ध में अपर सिविल न्यायाधीश बाली के न्यायालय में वाद विचाराधीन है, जिसको अप्रार्थी भी स्वीकार करता है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी निगरानीकर्ता की पैतृक रहवासीय भूमि पर विधि विरुद्ध तरीके से जारी किए गए पट्टे में प्रार्थी हितबद्ध पक्षकार है, इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में डब्ल्यू0एल0एन0 (राज.) 2017 (3) पेज 379, डब्ल्यू0एल0एन0 2015 (2) पेज 267, डब्ल्यू0एल0एन0 2013 (3) पेज 203, डब्ल्यू0एल0एन0 2012 (4) पेज 459 तथा डब्ल्यू0एल0एन0 2010 (4) पेज 105 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त की प्रतियां प्रस्तुत की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा दो पृथक पृथक निगरानी प्रस्तुत की है, जिसमें एक निगरानी में स्वामित्व प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई है तथा दूसरी निगरानी में पट्टे को चुनौती दी गई है। प्रार्थी का कथन है कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि पर पूर्व में पट्टा बना हुआ है। जिस तथाकथित पट्टे को प्रार्थीगण इस निगरानी का आधार बना रहे है, उस पट्टे के पडौस, माप, क्षेत्रफल तथा जैर निगरानी पट्टे के पडौस, माप व क्षेत्रफल किसी भी रूप में मिलान नहीं करते है। इस

अति. जिला क्लेक्टर, पाली

कारण यह स्वीकृत तथ्य नहीं है कि पूर्व में जो पट्टा जारी होना बताते हैं, वह इसी भूमि से सम्बन्धित रहा हो। इसके अतिरिक्त निगरानी का एक अन्य आधार यह भी लिया गया है कि उक्त भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में एक वाद माननीय अपर जिला न्यायालय बाली के समक्ष विचाराधीन है तथा नियमित वाद के विचाराधीन रहते निगरानी की संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत अधिकारों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है तथा न ही दस्तावेजात् का परीक्षण किया जा सकता है, क्योंकि उक्त तथ्य निर्विवादित रूप से वाद को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त उक्त पट्टा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये पंजीबद्ध हो चुका है एवं पंजीबद्ध दस्तावेज को खारिज करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर एकमात्र रूप से सिविल न्यायालय को ही है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी प्रकरण में किसी भी रूप में हितबद्ध नहीं है। निगरानी मात्र हितबद्ध व्यक्ति ही प्रस्तुत कर सकता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा विधि में प्रदत्त नियमों की पालना की पालना करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में डी0एन0जे0 (राज.) 2008 (2) पेज 735 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त की प्रति प्रस्तुत की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, जवाली द्वारा मिसल संख्या 37/2010-2011 संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.06.2013 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 61 दिनांक 10.07.2013 के विरुद्ध पेश की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी का मुख्य आधार यह है कि जैर निगरानी वादस्थ भूमि पर पूर्व में पट्टा बना हुआ है, जिसके कारण उक्त भूमि पर दुबारा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता था। इसके समर्थन में प्रार्थी द्वारा ठाकुर सरदारसिंह द्वारा जारी पट्टे की प्रति प्रस्तुत की। जिसमें प्रार्थी संख्या 2 के पिता व अप्रार्थी के मूल विक्रेता नेमीचन्द के पिता देवीचन्द सहित प्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता रामचंद का नाम भी दर्ज है। यह भूमि पुश्तैनी है अथवा नहीं? इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की टिप्पणी किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इस भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य सिविल वाद भी लम्बित है।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रुपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नहीं किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रुपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी

श्री. जिला कलेक्टर, पाली

समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान है। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/- रुपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षों के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200/- रुपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गों को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोन के अध्यक्षीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

जहां तक प्रक्रिया का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत कि मिसल में आदेशिकाओं की दिनांक ही अंकित नहीं है। इससे यह स्पष्ट ही नहीं होता कि उक्त मिसल पंचायत कोरम के समक्ष प्रस्तुत की अथवा नहीं ? मिसल में नक्शा मौका तथा पंचों की रिपोर्ट के प्रपत्र पूर्णतः खाली है, जिसमें कोई प्रविष्टि अंकित नहीं है, न तो आवेदक का आवेदन पत्र है तथा कब्जे की तार्ईद में गवाहों के बयानात कलमबद्ध किए गए हैं, मात्र आवेदक किशोर पुत्र रायचन्द का शपथ पत्र अवश्य है, जिसमें भी आवेदित भूमि के पडौस, क्षेत्रफल आदि अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त जैर निगरानी आज्ञा का अवलोकन किए जाने पर यह प्रकट होता है कि इसमें प्रस्ताव संख्या 1 में कौनसी मिसले प्रस्तुत हुई, जिनमें पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए गए, उन मिसलों का इन्द्राज ही नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया का दुरुपयोग करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है।

जहां तक पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही की वैधानिकता का प्रश्न है, तो ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव का यह दायित्व था कि वे राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 की पालना सुनिश्चित करते तथा उक्त नियमों में विहित प्रक्रिया पूर्ण होने पर पट्टा जारी करने बाबत कार्यवाही अमल में लाई जाती। किन्तु हस्तगत प्रकरण में सम्बन्धित ग्राम सेवक द्वारा इन प्रक्रियाओं को पूर्णतः दरकिनार करते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया है, जिस पर स्वयं ग्राम सेवक के हस्ताक्षर है, जो पट्टा जारी करने में उनकी स्वीकृति को रेखांकित करता है। इस कारण नियमों की जानबूझ कर अनदेखी करते हुए विधि विरुद्ध प्रक्रिया अपनाते हुए पट्टा जारी करने में ग्राम सेवक को भूमिका को नजरअन्दाज़ नहीं किया जा सकता है। यदि इस कृत्य का क्षमा कर दिया गया, तो निश्चय ही ऐसी कार्यवाही की पुनरावृत्ति होगी, जो विधि सम्मत नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, जवाली द्वारा मिसल संख्या 37/2010-2011 संकल्प संख्या 01 दिनांक 05.06.2013 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 61 दिनांक 10.07.2013 को अपास्त किया जाता है। चूंकि प्रकरण में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव (ग्राम विकास अधिकारी) द्वारा जानबूझकर नियमों की अनदेखी करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करने में अपनी भूमिका का निर्वहन किया

अति. जिला क्लर्क, पाली



गया है, इस हेतु सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव) के विरुद्ध राजस्थान असेनिक सेवाएँ (अपील, नियन्त्रण एवं वर्गीकरण) नियम 1958 के नियम 17 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाली को दिये जाते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, पाली को इस निर्णय की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड लौटाया जावे।



निर्णय आज दिनांक 12/11/2018 न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली